गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण

(ISO 9001:2015 एवं ISO 14001:2015 प्रमाणित संस्था)

विकास पथ, गाज़ियाबाद

पत्रांक : 4341/मास्टर प्लान अनुभाग/2022 **दिनांक 05/04/2022**

''सार्वजनिक सूचना''

एतद् द्वारा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स वंशिका वेदान्त डवलपर्स एल.एल.पी. द्वारा खसरा सं0 527 क्षेत्रफल 1221.64 वर्ग मी0 ग्राम नूरनगर, गाजियाबाद की भूमि पर होटल हेतु ऑन लाईन मानचित्र प्रस्तुत किया गया है। गाजियाबाद जोनल डेवलपमेन्ट प्लान–2021 जोन–1 के अनुसार प्रस्तावित 45 मी0 व 18 मी0 चौड़े जोनल मार्ग का मार्गधिकार छोड़ने के उपरान्त आंशिक भाग सामुदायिक सुविधाएं एवं शेष भाग आवासीय भू–उपयोग के अन्तर्गत प्रदर्शित है। उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या–1120/8–23–16–28 विविध/16 आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 लखनऊ दिनांक 29.12.2016 के अनुसार आवासीय भू–उपयोग के अन्तर्गत होटल क्रिया अनुमन्य है। ऐसी क्रिया की अनुमति से पूर्व जन–सामान्य से 01 माह की अवधि हेतु आपत्ति/सुझाव प्राप्त किये जाने का प्राविधान जोनिंग रेगुलेशन में निहित है। उक्त के दृष्टिगत प्रस्तुत मानचित्र की स्वीकृति से पूर्व जन–सामान्य से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये जाते है। यदि कोई व्यक्ति/संस्था उक्त के सम्बन्ध में अपनी कोई आपत्ति/सुझाव देना चाहे तो उक्त सूचना के प्रकाशन की तिथि से 01 माह के अन्दर अपनी आपत्ति/सुझाव कार्यालय, मुख्य वास्तुविद् एवं नगर नियोजक, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में प्रस्तुत कर सकता है। उक्त समयावधि के उपरान्त प्राप्त होने वाले किसी भी आपत्ति/सुझाव पर विचार नहीं किया जा सकेगा।

उपाध्यक्ष

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

ई-मेल : helplinegda@gmail.com f : @gdagzb t : @gdagzb

हेल्पलाइन : 0120-6110433, व्हाट्सएप : 9990988004, वेबसाइट : www.gdaghaziabad.in

एक सुंदर शहर — हमारा संकल्प

8x9